

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एनएच बैपास, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333615 वेबसाइट: www.indianspices.com

स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय कोच्ची (एरणाकुलम) में जेम कस्टम द्वारा दो वर्ष की अवधी के लिए
अपेक्षा के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना।

संदर्भ संख्या : प्रशा./स्थापना/मुख्यालय/वाहन किराये/जेम/2024-25
जारी करने की तिथि : 11 दिसंबर 2025

जारी करने वाला प्राधिकरण:
सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,
सहायक निदेशक (खरीद और स्थापना) स्पाइसेस बोर्ड
सुगंध भवन, एनएच बैपास, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333610-615, वेबसाइट: www.indianspices.com

विषयसूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	3
2.	काम का दायरा	3
3.	सामान्य निबंधन एवं शर्तें	4
4	अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें	4-6
5.	पात्रता मानदंड	6-7
6.	बोली प्रस्तुती	7-9
7.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	9
8.	अनुलग्नक । - वचन	10

निविदा आमंत्रण सूचना

1. बोली दाताओं के लिए सामान्य जानकारी एवं निर्देश

1.1 स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, अनिश्चितकालीन वितरण अनुबंध श्रेणी के अंतर्गत दो(02) वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न वाहनों के लिए वाहन किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के चयन हेतु सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 149 के अनुसार ऑनलाइन कस्टम बोलियां आमंत्रित करता है।

1.2 योग्य और इच्छुक बोलीदाताओं को, जो सूचना में उल्लिखित विशिष्टताओं को पूरा करते हैं और निर्धारित निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हैं, दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोलियां अलग-अलग) के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवश्यकताओं का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है::

2.1 काम का दायरा

अपेक्षा का स्थान	स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्यालय, पालारिवट्टम कोच्ची, केरल-682025	
अपेक्षा का उद्देश्य एवं प्रकार	स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों और अतिथियों की आधिकारिक बैठकों, संगोष्ठियों, फील्ड दौरों आदि के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। अपेक्षा/अवसर के अनुसार, सफल बोलीदाता एसी सेडान/एमपीवी/एसयूवी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा:	
	(i) 5 सीट वाले वाहन(स्विफ्ट डिज़ायर, होंडा सिटी या समकक्ष)	एक समय में 1 से 5 वाहन
	(ii) 7- सीट वाले वाहन (एर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइराइडर, फॉर्च्यूनर या समकक्ष)	एक समय में 1 से 20 वाहन
	तकनीकी बोली के साथ यह वचनपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि बोलीदाता आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहन और चालक रात्रि प्रवास के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।	
आवश्यकता की आवृत्ति	जब भी आवश्यकता हो, के आधार पर	

भ्रमण का स्थान	• एर्णाकुलम और उसके आसपास के इलाकों में, जिसमें शहर का परिसर भी शामिल है। • राज्य के भीतर • दक्षिण भारत के अंदर • सामान्यतः यात्रा की अपेक्षा पालारिवट्टम स्थित स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय से विभिन्न स्थानों तक होती है। अपवाद स्वरूप, यात्रा की शुरुआत अन्य स्थानों से भी करनी पड़ सकती है।
प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए लागत विश्लेषण	बोलीदाताओं को अपने वित्तीय प्रस्ताव में नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार, वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग दर प्रस्तुत करनी होगी। • न्यूनतम शुल्क (प्रतिदिन 80 किलोमीटर और 8 घंटे तक) • 80 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर की दर लागू होगी। • 8 घंटे से अधिक होने पर प्रति घंटा अतिरिक्त दर लागू होगी। • रात्रि विश्राम के लिए दर लागू
अनुबंध की सीमा	अनुबंध की तिथि से 2 वर्ष के लिए, समान नियम और शर्तों के तहत एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2.2 सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i)	बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निबंधन और शर्तों में उल्लिखित सभी खंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए।
(ii)	बोलीदाताओं की यह पूर्ण जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी बोलियां और सभी सहायक दस्तावेज समय पर और निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएं।
(iii)	यदि बोली खोलने की तिथि किसी घोषित अवकाश के दिन पड़ती है, तो बोली अगले कार्य दिवस पर उसी समय या क्रेता द्वारा सूचित किए गए समय पर खोली जाएगी।
(iv)	बोली की वैधता जेम पोर्टल पर दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
(v)	बोलियां केवल जीएसएम पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए; किसी अन्य माध्यम से भेजी गई बोलियां अमान्य मानी जाएंगी।
(vi)	सभी बोली दस्तावेज पूरी तरह से भरे हुए, विधिवत हस्ताक्षरित और निर्धारित समय सीमा से पहले जेम पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।
(vii)	स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाता जेम पोर्टल पर प्रतिनिधित्व कॉलम के माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई गई हो।

(viii)	निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और सुपाठ्य होने चाहिए।
(ix)	स्पाइसेस बोर्ड किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि
	(क) कोई कालीसूची या प्रतिबंधित पक्ष सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 151 में उल्लिखित अनुसार बोली प्रस्तुत करता है; या
	(ख) कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी की जाती है या उसका पता चलता है, या
	(ग) यदि बोलीदाता प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मांगी गई पूरक जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रदान नहीं करता है
	(घ) क्रय आदेश दिए जाने के बाद सेवा प्रदाता अनुबंध और अनुबंध पत्र के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, या
	(ङ) हालांकि, यदि किसी संभावित बोलीदाता द्वारा पूछताछ की जाती है, तो निविदा अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज जारी न करने के कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए।
(x)	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा बोली को तिरस्कृत किया जा सकता है।
(xi)	निर्दिष्ट तिथि और समय पर केवल तकनीकी बोलियां ही खोली जाएंगी।
(xii)	वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं के खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां तकनीकी मूल्यांकन के बाद अनुरूप पाई जाती हैं।
(xiii)	तकनीकी मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोली खोलने की तिथि जेम पोर्टल के माध्यम से सूचित की जाएगी।
(xiv)	निविदा दस्तावेज वेबसाइटों से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। https://www.indianspices.com/tenders.html and https://gem.gov.in
(xv)	बोलीदाताओं को इस बोली से संबंधित जेम/सीपीपी पोर्टल और आधिकारिक स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी सुधार का ध्यान रखना चाहिए।
(xvi)	निविदा की पूर्णता: अपूर्ण निविदाएँ या अनुलग्नक विवरणों का अभाव होने पर अयोग्यता हो जाएगी। हस्ताक्षरकर्ता को निविदा में अपने अधिकार और फर्म में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी।
(xvii)	निविदा अधिकार: स्पाइसेस बोर्ड बिना कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.3 अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें

(i)	सेवा प्रदाता एक स्वामित्व/साझेदारी/पंजीकृत फर्म/कंपनी होनी चाहिए और वाहन केवल केरल में पंजीकृत होने चाहिए तथा उनका अपना कार्यालय एर्णाकुलम जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए।
(ii)	अनुबंध प्रारंभ में केवल चौबीस महीने की अवधि के लिए होगा, सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के बाद ही एक और वर्ष के लिए आगे विस्तार पर विचार किया जाएगा।
(iii)	अनुबंध को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित या सौंपा नहीं जा सकता।
(iv)	वाहन केरल में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, उनकी आयु तीन (3) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुबंध के समय तथा अनुबंध अवधि के दौरान उनका संचालन 1,00,000 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पूरी होते ही, 1,00,000 किलोमीटर से कम चलने वाला वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाए। इस शर्त से किसी भी प्रकार का विचलन केवल स्पाइसेस बोर्ड को पूर्व सूचना और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही अनुमत होगा। सभी वाहनों में एसी की सुविधा होनी चाहिए।
(v)	किराये के शुल्क में ईंधन की लागत, स्नेहक, अतिरिक्त पुर्जे, रखरखाव, चालकों/कर्मचारियों का वेतन, बीमा/सड़क/राज्य कर/परमिट/प्रमाणपत्र का भुगतान शामिल होगा। सीएनजी से चलने वाले वाहन स्वीकार्य नहीं हैं।
(vi)	इयूटी पर तैनात ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अच्छा अनुभव होना चाहिए। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ड्राइवरों को इयूटी न सौंपी जाए। ड्राइवर इयूटी के दौरान सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। उन्हें उचित वर्दी पहननी चाहिए और बुलाए जाने पर उपलब्ध रहना चाहिए। सेवा प्रदाता को इयूटी सौंपने से पहले ड्राइवरों के नाम, पते और संपर्क नंबर उपलब्ध कराने होंगे।
(vii)	सेवा प्रदाता चालकों द्वारा की गई किसी भी चोरी, दुर्व्यवहार और/या अवज्ञा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
(viii)	सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन अच्छी तरह से रखरखाव किए गए हों, आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से साफ हों, और डिग्गी में धूल, कूड़ा, तेल और चालक का कोई भी निजी सामान न हो। बल्ब, बेल्ट, स्पेयर टायर्स आदि जैसे पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स अच्छी स्थिति में वाहनों में हर समय उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए टूलकिट भी होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी वाहनों में एक आपातकालीन चिकित्सा किट और अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।
(ix)	सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, तृतीय पक्ष और यात्रियों को कवर करने वाला पूर्ण व्यापक बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, पीयूसीसी, सड़क कर परमिट आदि और केटीक्यू तथा अन्य वैधानिक निकायों द्वारा वाहनों के संचालन के

	लिए आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक परमिट/लाइसेंस होना चाहिए, और अनुबंध अवधि के दौरान नियत तिथि की समाप्ति से पहले उनका पुनः सत्यापन होना चाहिए।
(x)	सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता विभाग की अपेक्षा के लिए आवंटित वाहनों के लिए तृतीय पक्ष असीमित देयता जोखिम सहित व्यापक बीमा कराएगा। उपयोगकर्ता ठेकेदार के वाहन के उपयोग के दौरान और उससे संबंधित किसी भी दुर्घटना के कारण सार्वजनिक संपत्ति और/या किसी तीसरे व्यक्ति को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(xi)	सेवा प्रदाता को स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य/केंद्रीय सरकारी विभाग को समान सेवा प्रदान करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए। इसे प्रमाणित करने वाले सहायक दस्तावेजों की प्रतियां तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसईएस) और स्टार्टअप को पूर्व अनुभव की आवश्यकता से छूट दी गई है, बशर्ते वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करते हों, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।
(xii)	स्पाइसेस बोर्ड, अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी बुकिंग, वाहन या किसी अन्य वाहन के नुकसान, क्षति या दुर्घटना, या यात्रा के दौरान चालक या किसी अन्य तीसरे पक्ष को हुई चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में होने वाले नुकसान, क्षति या कानूनी खर्च सेवा प्रदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे। इस संबंध में सेवा प्रदाता को तकनीकी बोली के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
(xiii)	किसी भी प्रकार की खराबी, सर्विसिंग या मरम्मत की स्थिति में, सेवा प्रदाता अपने खर्च पर अनुबंध में उल्लिखित श्रेणी के समान वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसा न करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होगा। अनुबंध में उल्लिखित एसी सेडान/एसयूवी उपलब्ध न होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता उसी श्रेणी के लिए उच्च मॉडल का वाहन (एसयूवी/एमपीवी) उसी कीमत पर उपलब्ध करा सकता है।
(xiv)	स्पाइसेस बोर्ड यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालक या सेवा प्रदाता द्वारा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। चालक और सेवा प्रदाता दोनों को मोटर वाहन अधिनियम और वर्तमान में लागू तथा समय-समय पर लागू होने वाले संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। मोटर वाहन अधिनियम/नियमों सहित सभी लागू कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी केवल सेवा प्रदाता की होगी और स्पाइसेस बोर्ड किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
(xv)	सेवा प्रदाता श्रम कानून (केंद्रीय/राज्य) और विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, पीएफ, ईएसआई अधिनियम, बोनस अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम आदि, जो समय-समय पर लागू होते हैं आदि से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(xvi)	इयूटी पर तैनात वाहनों में किसी भी समय उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अधिकृत कर्मियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता को अपने चालकों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने, जैसे कि तेज गति, जल्दबाज में वाहन चलाना और बिना ब्रेक/खराब ब्रेक वाले वाहन चलाने से बचकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
(xvii)	भुगतान की शर्तें: सेवा प्रदाता को भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए पिछले महीने की इयूटी स्लिप के साथ मूल बिल जमा करना होगा। बिल सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत और मसाला बोर्ड द्वारा स्वीकृत वित्तीय कोटेशन के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही जीएसटी नंबर, टैन और बैंक विवरण जैसे चालू/बचत खाता, खाता संख्या, आईएफएस कोड, शाखा और बैंक का नाम भी भुगतान व्यवस्था हेतु संलग्न करना होगा। सभी भुगतान केवल पीईएमएस के माध्यम से किए जाएंगे। किसी भी कीमत पर अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। लागू होने पर टीडीएस और अन्य कर, प्रचलित कानून के अनुसार एजेंसी के बिलों से काटे जाएंगे।
(xviii)	प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग इयूटी स्लिप रखी जाएगी, जिस पर स्पाइसेस बोर्ड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इयूटी के लिए प्रत्येक वाहन आवंटित करने से पहले, चालक द्वारा ओडोमीटर रीडिंग नोट की जाएगी और उसके बाद कार्यालय समय के दौरान प्रत्येक इयूटी के लिए आरंभ समय, समापन समय, देखे गए स्थान आदि की प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इयूटी पूरी होने के बाद, चालक द्वारा ओडोमीटर रीडिंग को फिर से नोट किया जाएगा और स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारी से इसकी जाँच और हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। प्रत्येक वाहन की इयूटी स्लिप के आधार पर, सेवा प्रदाता मासिक आधार पर बिल तैयार करेगा, जिसमें इयूटी स्लिप की मूल प्रतियाँ संलग्न होंगी। गैराज-से-गैराज आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।
(xix)	स्थानीय या बाहरी स्तर पर देय टोल शुल्क, पार्किंग शुल्क या प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सेवा प्रदाता को उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक आधार पर की जाएगी।
(xx)	वाहनों की अपेक्षा, इयूटी अनुसूची के अनुसार, स्पाइसेस बोर्ड की मौके पर आवश्यकता के आधार पर होगी, इसलिए न्यूनतम आवश्यकता की गारंटी नहीं दी जा सकती। स्पाइसेस बोर्ड नियमित रूप से वाहनों की मांग की कोई गारंटी नहीं देता है। इयूटी/अनुसूची शुरू होने से 4 से 12 घंटे पहले वाहनों की मांग की सूचना दी जाएगी। तदनुसार, सेवा प्रदाता द्वारा वाहन उपलब्ध कराए जाएं।
(xxi)	वाहन किराए पर देने की सेवाएं प्रदान करने का अनुबंध उस सबसे कम बोली लगाने वाले सफल बोलीदाता को दिया जाएगा जो निविदा दस्तावेज में दी गई सभी शर्तों और निबंधनों को पूरा करता हो। यदि सफल बोलीदाता लगातार दो बार सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो फर्म के साथ अनुबंध बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

(xxii)	स्पाइसेस बोर्ड द्वारा कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी सशर्त बोलियों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
(xxiii)	इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित किसी भी विवाद का समाधान पक्षों के बीच बातचीत द्वारा किया जाएगा और यदि विवाद अनसुलझे रह जाते हैं तो उनका निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा और इसके तहत दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। एकमात्र मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्पाइसेस बोर्ड और सेवा प्रदाता दोनों पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो।
(xxiv)	यदि जेम पोर्टल में एक से अधिक बोलीदाता L-1 रैंक पर हैं या एकाधिक L-1 बोलीदाताओं ने समान मूल्य प्रस्तुत किया है, तो L-1 बोलीदाताओं में से चयन जेम सिस्टम द्वारा निष्पादित यादृच्छिक एल्गोरिथम/ 'रन L1 सिलेक्शन' (स्वचालित रन) विकल्प के माध्यम से किया जाएगा।
(xxv)	स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.1 पात्रता मानदंड

क्रम.सं	पात्रता मानदंड	अपेक्षित दस्तावेज (सॉफ्ट कॉपी केवल जेम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होंगी)
(i)	भाग लेने वाली फर्म का स्वामित्व/साझेदारी / भारत में पंजीकृत होना अनिवार्य है।	कंपनी के निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी कंपनी विलेख की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
(ii)	कोच्ची और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय कार्यालय का पता	पट्टा विलेख/स्वामित्व दस्तावेज की प्रति संलग्न करें
(iii)	फर्म में उपलब्ध 5-सीट वाले वाहनों के विवरण	5 सीट वाले वाहनों का विवरण, जिसमें निर्माता का नाम, पंजीकरण संख्या, निर्माण वर्ष और बीमा की प्रति शामिल हो, संलग्न करें।
(iv)	फर्म में उपलब्ध 7-सीट वाले वाहनों के विवरण	7 सीट वाले वाहनों का विवरण, जिसमें निर्माता का नाम, पंजीकरण संख्या, निर्माण वर्ष और बीमा की प्रति शामिल हो, संलग्न करें।
(v)	चालक का विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार(हल्का/भारी आदि) तथा अनुभव के वर्ष।	विवरण संलग्न करें।

(vi)	वैध जीएसटी और पैन कार्ड होना अनिवार्य है।	जीएसटी और पैन की प्रतियां संलग्न करें
(vii)	बैंक खाता	पासबुक के प्रति/रद्द किया गया चेक/खाते के विवरण सहित ऑनलाइन स्टेटमेंट
(viii)	फर्म का एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र (केवल यदि फर्म एमएसएमई है)	यदि लागु हो तो प्रति संलग्न करें
(ix)	वर्तमान में वंचित नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार के अधीन किसी भी खरीद संस्था द्वारा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त संस्थाएं शामिल हैं, या राज्य सरकारों द्वारा कालीसूची में नहीं किया गया होना चाहिए।	फर्म द्वारा संलग्न किए जाने वाले पत्र में यह स्व-घोषणा होनी चाहिए कि वर्तमान में इस मानदंड में उल्लिखित किसी भी संस्था द्वारा कंपनी को वंचित/कालीसूचित नहीं किया गया है।
(x)	पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक औसत कारोबार 5 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।	सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां। कारोबार संबंधी मानदंडों से छूट के लिए वैध एमएसएमई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(xi)	केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि में वाहन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में पूर्व अनुभव (न्यूनतम 1(एक) वर्ष का अनुभव आवश्यक है)	कार्य आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
(xii)	इस आशय का वचन पत्र कि बोलीदाता आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।	कंपनी के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत करना चाहिए। (अनुलग्नक- 1 में प्रारूप दिया गया है।)

4.1 बोली प्रस्तुती

(i)	निविदा/बोली जो सभी पहलुओं को विधिवत रूप से भरकर निविदा सूचना में उल्लिखित निर्धारित समय और तिथि को या उससे पहले जेम पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हो, इस बात को मूल्यांकन के लिए विचार की जाएगी।
(ii)	बोलियां दो भागों में तैयार की जाएंगी, अर्थात् तकनीकी बोली (भाग 1) और वित्तीय बोली (भाग 2)।

(iii)	सर्वप्रथम चरण में तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी और स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरे चरण में, केवल तकनीकी रूप से योग्य प्रतिभागियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी, जिनका आगे मूल्यांकन और रैंकिंग की जाएगी, जिसके बाद अनुबंध प्रदान किया जाएगा।
-------	--

4.2 तकनीकी बोली

(i)	पात्रता मानदंड के अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के लिए आवश्यक दस्तावेज।
(ii)	इस निविदा दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करके एटीसी (अतिरिक्त निबंधन और शर्तों)की स्वीकृति।
(iii)	निविदा के तकनीकी भाग में निविदा मूल्य से संबंधित कोई भी वित्तीय विवरण शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल्य का खुलासा केवल वित्तीय अनुभाग में ही किया जाना चाहिए। इस नियम का पालन न करने वाली निविदाओं को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.1 वित्तीय बोली

इस भाग में केवल मूल्य सूची ही शामिल होगी, जिसे नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार विधिवत भरा जाना चाहिए।

वस्तुवार मूल्य विवरण बोलीदाता द्वारा भरा जाएगा।								
क्र. सं.	वाहन का प्रकार	न्यूनतम किराया शुल्क (80 की.मी या 8 घंटे प्रति दिन तक) जीएसटी सहित/ वाहन रुपये में (क)	80 कि.मी से अधिक प्रत्येक कि.मी के लिए अतिरिक्त दर (जीएसटी सहित)/वाहन रुपये में (ख)	8 घंटे से अधिक होने पर प्रति घंटा अतिरिक्त दर(जीएसटी सहित) वाहन के लिए लागु दर रुपये में (ग)	रात भर ठहरने के लिए लागु दर (जीएसटी सहित)/ वाहन के लिए लागु दर रुपये में (घ)	कुल ड= (क+ख+ग+घ)	लगभग कुल मात्रा* (च)	अनुमानित कुल मूल्य छ=(डxच)
1	5 सीट वाले वाहन							

	(स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज या इसी तरह का मोडल)	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	100	जेम में बोली लगाई गई है।
2	7 सीट वाला वाहन (जैसे एटिका, इन्नोवा, कृस्टा, हाइराइडर, फॉर्च्यूनर या समकक्ष)	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	जेम में बोली लगाई गई है।	100	जेम में बोली लगाई गई है।
कुल योग(जी)								
(राशी शब्दों में)								

*ऊपर दर्शाई गई वाहनों की कुल संख्या केवल एक अनुमान है; वास्तविक संख्या परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।

नोट:

- अतिरिक्त किलोमीटर और अतिरिक्त घंटे दोनों के खर्च होने पर, विक्रेता अतिरिक्त किलोमीटर या अतिरिक्त घंटों में से जो भी राशि अधिक हो, उसका शुल्क लेगा।
- सभी बोलीदाताओं को तालिका संख्या 5.1 के अनुसार वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए दरों का सही विवरण जेम पोर्टल पर अपलोड करना होगा और ऊपर दर्शाई गई कुल कीमत (ग्रैंड टोटल) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीएसएम) पोर्टल पर वित्तीय बोली में लगाई जुगसम राशि से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। किसी भी प्रकार का बेमेल होने पर बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- पात्रता मानदंडों के समर्थन में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में सहायता के लिए, स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेकानुसार बोलीदाता से उसकी बोली के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया के अनुरोध केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी। बोली की कीमत या विषयवस्तु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न ही प्रस्तावित किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
- अंकगणितीय त्रुटियों का निवारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य में कोई विसंगति है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य का संशोधन

संस्थान द्वारा किया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों में कोई विसंगति है, तो कम राशि को ही मान्य माना जाएगा। यदि बोलीदाता त्रुटियों के संशोधन को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

6.1 महत्वपूर्ण तिथियां :

बोली प्रारंभ तिथि : 11.12.2025 को शाम 16:30 बजे

बोली समाप्ति तिथि : 01.01.2026 को शाम 17:00 बजे

बोली खोलने की तिथि: 01.01.2026 को शाम 17:30 बजे

6.2 बोली लगाने वाले सोमवार से शुक्रवार तक कार्य समय के दौरान बोली संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय कोचची जा सकते हैं। बोली लगाने वाले निविदा संबंधी प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

(i)	डॉ. मोहम्मद षमीर, सहायक निदेशक (खरीद एवं स्थापना), स्पाइसेस बोर्ड, कोचची-25, केरल। ईमेल: mohammed.cheriyath@nic.in, फ़ोन: 0484 2333610 (एक्सटेंशन 331)
(ii)	श्री निबिन के साइमन, सहायक (खरीद एवं स्थापना) स्पाइसेस बोर्ड, कोचची-25, केरल ईमेल: nibin.simon@nic.in, फ़ोन: 0484 2333610 (एक्सटेंशन 269)

6.3 बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी अतिरिक्त अनुबंध को ध्यान में रखना चाहिए।

(कंपनी के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत करना है)

वचनबंध

सेवा में,

सचिव,
स्पाइसे बोर्ड भारत
कोच्ची

विषय: वाहन और चालक उपलब्ध कराने संबंधी वचनबद्धता

महोदय/महोदया,

हमने वाहन सेवा प्रदान करने के लिए अपनी तकनीकी बोली प्रस्तुत कर दी है और हम इसके द्वारा निम्नलिखित बातों की सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि और वचनबद्धता करते हैं।

1. हम निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट संख्या और प्रकार के वाहन, स्पाइसेस बोर्ड भारत द्वारा आवश्यकतानुसार, उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।
2. हम यह सुनिश्चित करने का भी वचन देते हैं कि उपलब्ध कराए गए सभी वाहन अच्छी कार्यशील स्थिति में हों, उनका उचित रखरखाव किया गया हो और वे सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करते हों।
3. वाहनों के साथ तैनात किए गए चालक अनुभवी, सुव्यवहारित, उचित रूप से लाइसेंस प्राप्त और निर्देशानुसार कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुसज्जित होंगे।
4. आवश्यकता पड़ने पर वाहनों और चालकों को बिना किसी सेवा व्यवधान के रात्रि प्रवास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
5. हम निविदा दस्तावेजों में निर्धारित सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगे।

हम सद्भावनापूर्वक यह वचन देते हैं और निविदा से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

सील :

स्थान :

तिथि :